13.6.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत
अभियान मे एस. तिनावली ग्राम पंचायत
के आदर्श सेवा केन्द्र मे पेश हुई।
वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं.1
व 3 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षी
अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण व विपक्षी
वकील की आवेदन पर बहस सुनी
गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण
ने कथन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी
सं.1 से 11 एक ही परिवार के सदस्य
है। प्रार्थीगण के पूर्वज पदमा, सोना
व पूनमा एक ही संयुक्त परिवार के
साथ रहते थे। इनकी पैतृक व पुश्तैनी
भूमि- ग्राम ऊंका पाना बगतपिर की
खसरा संख्या 427 व 428 कुल रकबा
149-145-04 बीघा व ग्राम खेरलिया
की खेत खसरा संख्या 115, 174, 116,
117, 154, 96, 180, 95 क्रमश: रकबा
77-10, 43-17, 0-12, 48-00, 50-14,
64-08, 38-11, 0-12 बीघा का
आया हुआ थी। ग्राम -मुक्का बगतपिर
की भूमि पदमा, पूनमा व सोना के
नाम संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही।
लेकिन ग्राम खेरलिया की भूमि तीनो
भाईयो के नाम दर्ज होने के बजाय

सहायक कलक्टर
SDC निवाई

Scanned by CamScanner

खीया ग्राम नरसिंगाराम ब्योरा

खसरा संख्या 115, 43, 116 प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता पदमा, खसरा संख्या 117, 50 वादी सं. 1 से 6 के पिता पूरणा व खसरा संख्या 96, 180, 95 प्रतिवादी सं. 4 से 11 के पूर्वज सोना के नाम दायर हो गई। जबकि तीनो भाईयो पदमा, पूरणा व सोना के संयुक्त रूप से 1/3, 1/3 हिस्सेनुसार दर्ज होनी थी। जबकि प्रार्थीगण का अपने हक-हिस्सेनुसार पक्का सेटलमेन्ट पूर्व से आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे नाम नही होने के कारण विपक्षी इसका गलत फायदा उठाकर विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा है। यदि इसके सफल हो जावे, तो प्रार्थीगण का आवेदन/ प्रार्थीगण के हितो के लाभ नहीं पुरसाहाल होगा। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के संबंध मे राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने बहस के समर्थन मे RRT 2009-10 (SUPP) पेज 208 की नजीर एंव CPC 39 आदेश प्रस्तुत की।

महायक कलक्टर
SDC सिवाना

इसके विपरीत वकील विद्वानों की बहस है, कि आवेदन पत्र मे उल्लेखित विवादित भूमि खसरा संख्या 115, 174, 116, 117, 154, 96, 180, 95 की गलत बंदोबस्त सही जारी की गई है, क्योंकि तीन भाईयो - पदमा, पूनमा व सोना का वक्त सेटलमेन्ट पूर्व से अलग2 निवास था। और कब्जा अनुसार ही अलग 2 सिजरे जारी हुई थी। जो सही है भावीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। भावीगण द्वारा केवल मात्र विवादित भूमि के संबंध मे पारित हो रहे नेस्तनाबंदी आदेश की कार्यवाही को रोकने हेतु भावीगण पेश किया गया। जो भावीगण को किसी प्रकार का कोई हक नही है। अतः भावीगण को आवेदन खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एंव प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया। तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिससे पाया, कि विवादित

सहायक कलक्टर
SDC [illegible]

खसरा नं. 115, 43, 116, (क) विपक्षी
क्र. 1 से 3 के पिता व पति मदना व
खसरा नं. 117, 50 प्रार्थी के पूर्वज
पूनमा एवं खसरा नं. 96, 180, 95
मूलवाद / आवेदन के विपक्षी क्र. 4 से 11
के पूर्वज सोना के नाम खातेदारी
में दर्ज इन्द्राजात जो भूमि ग्राम खरातीया
से आई हुई थी। प्रार्थीगण / वादीगण
द्वारा लगभग 60 वर्षों बाद विवादित
भूमि के हिस्से घोषणात्मक करवाने हेतु
वाद पेश किया गया है। जो मूलवाद
के साक्ष्य सबूतों के आधार पर
तय होगा। लेकिन आवेदन पत्र के ऐसा
कोई ठोस साक्ष्य - सबूत उपलब्ध नहीं
है, जिनसे यह प्रमाणित हो, कि
प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति हो
हो रही है। जबकि इसके विपरीत
विपक्षी वक्त सेटलमेंट विवादित भूमि
की खातेदारी दर्ज होती आ रही है
और रजिस्टर्ड खातेदार के विरुद्ध स्थगन
आदेश जारी नहीं किया जा सकता
है क्योंकि ऐसा किये जाने से उनके

सहायक कलेक्टर
SDC सिरमाली

Scanned by CamScanner

अपूरणीय क्षति होनी की संभावना है/ एवं ~~अनावेदक~~ विपक्षी क्र.1 व 3 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा क्रमांक 115, 116 ग्राम जगा रंगरातिया व खसरा क्रमांक 174 ग्राम रंगरातिया की भूमि के नेतमंडी कानोन के आदेश दिनांक 30.5.17 को प्राप्त किये है जो उनका हकदार भी है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा उसे रुकवाने के लिए आवेदन के जरिये स्थगन जारी करवाना चाहते है जो प्रार्थीगण हकदार नही है/ इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होकर विपक्षी के पक्ष मे बनते है ऐसी स्थिति मे आवेदन निरस्त योग्य है/ प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक ~~एक~~ दृष्टांत प्रकरण की प्रकृति पर लागू नही होती है/

फलस्वरूप प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है/

आदेश खुले कोर्ट सुनाया गया/

पत्रावली पेशी हेतु दिनांक ~~और~~ ________ को।

[signature] 12.6.17

सहायक कलेक्टर
SDO शिवपुरी